

03 मेट्रो की मनमानी से 2 महीने से भटक रहे हैं व्यापारी - परमजीत सिंह पम्मा

06 दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनन, खनिज और सामग्री हब में ईंधन नवाचार

08 विश्व सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में अरुण उपरांत डॉक्टरों की सहायता कैम्पों की शुरुआत

कौन है आरटीओ और डीटीओ और उनके बीच क्या है अंतर ?

संजय बाटला

क्या आरटीओ और डीटीओ गैर तकनीकी पद हैं? भर्ती नियम (आर.आर.), माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, राजपत्र अधिसूचना सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय, माननीय कैट, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली एवम् कानून न्याय एवं निधि विभाग दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार दोनों ही पद तकनीकी पद हैं। आपकी जानकारी हेतु बता दें पर दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा इन पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की हुई है और उनकी सोच के अनुसार ऊपर लिखित सभी के द्वारा जारी दिशा निर्देश सही नहीं हैं और परिवहन विभाग के सभी पद खास तौर से डीटीओ गैर तकनीकी पद हैं।

कानून और नियम के अनुसार यदि आपको परिवहन के कार्यालयों से संपर्क करने की आवश्यकता है - वाहन पंजीकरण, लाइसेंस या परमिट के लिए आपको आरटीओ और डीटीओ के बीच का अंतर को समझने से आपका समय बच सकता है और प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

हम आपकी जानकारी के लिए भारत में इन दो प्रकार के परिवहन कार्यालयों के बीच का अंतर उजागर कर रहे हैं

1. आरटीओ और डीटीओ क्या है?
 2. आरटीओ कैसे काम करता है?
 3. डीटीओ कैसे काम करता है?
 4. आरटीओ और डीटीओ के बीच अंतर
- आरटीओ और डीटीओ क्या है: एक अवलोकन** भारत में, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) सड़क परिवहन सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं। यह कार्यालय देश की परिवहन व्यवस्था के सुचारु संचालन को सुनिश्चित

करने, वाहन पंजीकरण, लाइसेंसिंग, परमिट आदि की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्यालय प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर थोड़े अलग-अलग कार्य करते हैं।

आर.टी.ओ. क्या है? क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (या कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) एक सरकारी संगठन है जो सड़क परिवहन से संबंधित कानूनों का प्रबंधन और प्रवर्तन करता है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र का अपना आरटीओ होता है।

आरटीओ कैसे काम करता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन विभाग द्वारा आरटीओ को स्थापना की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं।

1. **डाइविंग लाइसेंस जारी करना:** आरटीओ लाइसेंस और स्थायी डाइविंग लाइसेंस जारी करता है। यह कार्यालय आवश्यकतानुसार इन परमिटों को जारी करने के लिए परीक्षण भी आयोजित करता है।
2. **वाहन पंजीकरण:** आरटीओ अपने संबंधित क्षेत्र में वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
3. **सड़क कर का संग्रह:** आरटीओ अपने अधिकार क्षेत्र में वाहनों से सड़क कर और शुल्क एकत्र करते हैं।
4. **वाहन स्वामित्व हस्तांतरण का प्रबंधन:** आरटीओ वाहन स्वामित्व हस्तांतरण का प्रबंधन करते हैं। वह छोड़े हुए नंबर प्लेट या पंजीकरण प्रमाणपत्रों के मामलों को भी संभालते हैं।

डीटीओ क्या है? सड़क परिवहन प्रबंधन को कवर करने के लिए डीटीओ या जिला परिवहन कार्यालय भी स्थापित किया गया है। हालाँकि, ये कार्यालय जिला स्तर पर संचालित होते हैं। आरटीओ और डीटीओ के कार्य समान हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हैं। कई क्षेत्रों में, इन शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है।



डीटीओ के कार्य भारत में जिला परिवहन कार्यालयों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं।

1. **वाहनों का पंजीकरण:** जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) अपने जिले में नए निजी और व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के प्रभारी होते हैं। यह कार्यालय इन वाहनों को अस्थायी या स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करते हैं।
2. **डाइविंग लाइसेंस:** जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) जिले में वाहन चलाने के लिए अस्थायी और स्थायी लाइसेंस भी जारी करते हैं। वह समाप्त हो चुके लाइसेंसों का नवीनीकरण करने या मौजूदा लाइसेंसों की जानकारी अपडेट करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
3. **कर और शुल्कों का संग्रह:** जिला परिवहन अधिकारी अपने जिले के वाहन मालिकों से सड़क कर और शुल्क वसूलते हैं। वह दूसरे जिलों या राज्यों में जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी करते हैं।
4. **वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना:** डीटीओ वाहनों की सड़क पर चलने की योग्यता

प्रमाणित करने के लिए उनका निरीक्षण करते हैं। वह वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र भी प्रदान करते हैं।

आरटीओ और डीटीओ के बीच अंतर आपने देखा होगा कि आरटीओ और डीटीओ के कार्य काफी हद तक समान हैं। हालाँकि, इन दोनों कार्यालयों में कुछ अंतर हैं। आरटीओ और डीटीओ दोनों ही परिवहन प्रशासन प्रणाली के अनिवार्य अंग हैं क्योंकि वह विभिन्न स्तरों पर सड़क परिवहन गतिविधियों को देखरेख करते हैं। आरटीओ का दायरा व्यापक है क्योंकि यह कई जिलों के कार्यों की देखरेख करता है। डीटीओ की गतिविधियाँ एक विशिष्ट जिले तक सीमित होती हैं। हालाँकि उनके कार्यों का आकार और दायरा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उनके संयुक्त प्रयास उस सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन तंत्र का संचालन करते हैं जिस पर हम प्रतिदिन निर्भर रहते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) के पद आमतौर पर समान रैंक के होते हैं, क्योंकि दोनों परिवहन विभाग में

वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

आरटीओ और एमवीआई के बीच क्या अंतर है? क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो परिवहन विभाग के सभी कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) वाहनों की सड़क पर चलने की योग्यता, सुरक्षा मानकों के अनुपालन और प्रदूषण मानकों के पालन के लिए जिम्मेदार होता है।

आर.टी.ओ. अधिकारी का क्या मतलब है? आरटीओ अधिकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में परिवहन और सड़क सुरक्षा कानूनों का प्रबंधन और प्रवर्तन करता है। इसकी जिम्मेदारियों में वाहन पंजीकरण, डाइविंग लाइसेंस जारी करना, यातायात नियमों का पालन करना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और मोटर वाहन कर वसूलना शामिल है।

आर.टी.ओ. की शक्ति क्या है? आरटीओ अधिकारियों के पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत करना और जारी करना, डाइविंग लाइसेंस जारी करना, नवीनीकृत करना या रद्द करना; निरीक्षण करना, जुर्माना लगाना या यातायात कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शामिल है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), संचालन का क्षेत्र

आर.टी.ओ. क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर कार्य करता है तथा बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। डी.टी.ओ. जिला स्तर पर कार्य करता है तथा छोटे, स्थानीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), दायरा आरटीओ कई जिलों या व्यापक क्षेत्र में परिवहन

संबंधी गतिविधियों की देखरेख करता है।

डी.टी.ओ. एक ही जिले के भीतर परिवहन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), जिम्मेदारी

आरटीओ नीतियों को क्रियान्वित करता है तथा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न डीटीओ के बीच समन्वय स्थापित करता है।

डीटीओ वाहन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और परमिट जारी करने जैसी दैनिक सेवाएँ संचालता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), कार्य आरटीओ अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय परिवहन संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करता है और उच्च स्तरीय नीतियों को लागू करता है। डीटीओ जिला-विशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे लाइसेंस जारी करना और स्थानीय कर एकत्र करना।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), पदानुक्रम:-

आरटीओ प्रशासनिक पदानुक्रम में उच्चतर होता है तथा अपने क्षेत्र के डीटीओ के कार्यों की देखरेख करता है। डीटीओ, आरटीओ की देखरेख में काम करता है और उसके निर्देशों को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करता है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), आज देना

आरटीओ वाणिज्यिक और यात्री वाहनों के लिए राज्य या अंतरराज्यीय परमिट जारी करता है। डीटीओ वाहनों के लिए स्थानीय या जिला स्तर पर परमिट जारी करता है।

भारत महा ईवी रैली – विश्व की सबसे लंबी ईवी रैली का नई दिल्ली से भव्य शुभारंभ

आयोजक: इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (IFEVA)



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली | 9 सितंबर 2025 - भारत महा ईवी रैली, जो कि विश्व की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) रैली है, का भव्य ध्वजारोहण समारोह बीकानेर हाउस, इंडिया गेट के निकट, मंगलवार 9 सितंबर 2025 को सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक उद्घाटन और गरिमा के साथ संपन्न हुआ।

यह ऐतिहासिक रैली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (IFEVA) द्वारा आयोजित की गई है।

IFEVA नेतृत्व द्वारा विशेष घोषणा

डॉ. शैलेन्द्र सरोज (अध्यक्ष, IFEVA) और डॉ. राजीव मिश्रा (अध्यक्ष, IFEVA) ने मीडिया को संबोधित करते हुए रैली के उद्देश्य, मिशन और राष्ट्रव्यापी प्रभाव की विस्तृत जानकारी दी।

यह रैली 100 दिनों में 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है:

प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण

स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना

ईवी उद्योग में रोजगार के अवसर महिला सशक्तिकरण

दिव्यांगजनों को अवसर प्रदान करना

भारतीय स्टार्टअप को सहयोग देना

एक वर्ष में 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प

मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि

श्री पीयूष गोयल जी, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वे अन्य शासकीय व्यस्तताओं के कारण उपस्थित नहीं हो सके। आयोजकों ने उनके समर्थन



और शुभकामनाओं को ससम्मान स्वीकार किया।

विशेष अतिथि जिन्होंने समारोह की शोभा बढ़ाई:

श्री सुधेन्दु ज्योति सिन्हा, निदेशक, नीति आयोग

श्री अभिजीत सिन्हा, कार्यक्रम निदेशक - नेशनल हाईवे फॉर ईवी (NHEV) एवं भारत महा ईवी रैली के सह-संयोजक

श्री सुधेन्दु ज्योति सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि नीति आयोग और IFEVA के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, और दोनों संस्थाएँ भारत की स्वच्छ ऊर्जा एवं ईवी क्रांति को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री अभिजीत सिन्हा ने कहा: "भारत महा ईवी रैली के सह-संयोजक के रूप में, मैं इस 100 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ और IFEVA के साथ निरंतर कार्य करता रहूँगा।"

एकता और समर्पण का उत्सव इस शुभारंभ समारोह में देशभर से अनेक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थे:

उद्योगपति एवं व्यापारी

वरिष्ठ नौकरशाह स्वामीजी एवं आध्यात्मिक गुरु कौरपोरेट अधिकारी वैदिक पुरोहित लाफ्टर क्लब के सदस्य, जिन्होंने आयोजन में उल्लास और ऊर्जा का संचार किया

यह समारोह भारत की औद्योगिक, सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बना, जो हरित परिवहन के मिशन में एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं।

रैली के बारे में

भारत महा ईवी रैली केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है:

इलेक्ट्रिक वाहनों को देशभर में बढ़ावा देना

भारत के ईवी इकोसिस्टम को उजागर करना

सभी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में ईवी की वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करना

रैली के दौरान यह कारवां प्रमुख शहरों, ईवी चार्जिंग स्टेशनों और हरित कॉरिडोरों से होते हुए गुजरेगा, और पूरे भारत में जागरूकता, संवाद और साझेदारी को बढ़ावा देगा।

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा डीजल के वाहनों के पंजीकरण का शुल्क अन्य राज्य से अधिक और वन टाइम रोड टैक्स 15 साल का क्यों?

संजय बाटला

वन टाइम रोड टैक्स अर्थात् 15 साल (वाहन की आयु पंजीकरण से 15 वर्ष तक के लिए) का सड़क उपयोग टैक्स लेने का अर्थ विश्वास सरकार का वाहन मालिकों को की उनका वाहन भारत देश की सड़कों पर पंजीकरण की तारीख से कम से कम 15 वर्षों तक कोई नहीं रोकेगा, फिर दिल्ली में डीजल वाहनों का टैक्स वन टाइम अर्थात् 15 साल का लेने के बाद रोक क्यों और वाहन 15 वर्ष पूरे हुए बिना डी रजिस्टर क्यों, बड़ा सवाल?

क्या दिल्ली परिवहन आयुक्त के लिए मोटर वाहन नियम अधिनियम रूल कोई मायना नहीं रखते?

किस आधार पर दिल्ली में पंजीकृत डीजल वाहनों को जिन पर सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर चलने से पाबंदी लगी है को अन्य राज्यों की सड़कों पर डी रजिस्टर कर के दिल्ली परिवहन विभाग चलने से रोक रहे हैं वो भी रोड टैक्स 15 साल का वसूल कर?

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के तहत डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति मात्र 10 साल फिर भी दिल्ली परिवहन विभाग उनसे पंजीकरण शुल्क अन्य राज्य से अधिक वसूल रहा है और साथ ही उनसे वन टाइम रोड टैक्स जो 15 साल के



सड़कों पर चलने वाले वाहनों से लेना चाहिए वसूल रहा है आखिर क्यों?

दिल्ली सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार दिल्ली सरकार दिल्ली में समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों को निरस्त करने के लिए वाहनों की आयु की जगह वाहनों द्वारा निकलने वाले प्रदूषण के आधार पर निरस्त करने की अपनी मांग बता चुकी है और उसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगी बंदी को हटाने की मांग कर चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा डीजल वाहनों की आयु 15 साल निर्धारित है

फिर दिल्ली में 10 साल क्यों ?

दूसरा सवाल यह उठता है कि दिल्ली में को अब तक डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए आज 10 साल तो उनसे वन टाइम रोड टैक्स के तहत 15 साल का रोड टैक्स क्यों लिया जा रहा है ?

तीसरे सवाल जब भारत सरकार द्वारा डीजल वाहनों की आयु सीमा भी 15 साल तो 15 साल पूरे होने से पूर्व दिल्ली परिवहन विभाग किस आधार पर उन्हें डी रजिस्टर कर रहा है ? यहां यह जानने योग्य बात है कि कानून के अनुसार एक राज्य की सड़कों पर चलने से लगी रोक पर आयु सीमा बचे वाहनों को दिल्ली

परिवहन विभाग डी रजिस्टर कर अन्य राज्यों में चलने से किस आधार पर रोक सकता है ?

कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग दिल्ली की जनता जिन्होंने अपने लिए डीजल वाहन खरीद कर दिल्ली से पंजीकरण करवाए हैं उन्हें को गैर कानूनी तरीके से परेशान कर रहे हैं।

दिल्ली परिवहन विभाग को जनता के समक्ष इस बात का जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर चलने से लगी पाबंदी पर अन्य राज्यों की सड़कों पर डी रजिस्टर कर के वह चलने से रोक रहे हैं वो भी रोड टैक्स 15 साल का वसूल कर ?



पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के द्वारा अन्न मदद के अंतर्गत आज ट्रस्ट की मंबर कार्वेरी जी ने 100 किलो चावल, 30 किलो दाल और 5 किलो नमक का योगदान दिया है।

ट्रस्ट उनके इस योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद करता है

टेंपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathasanjanaybathala@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (15/2/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

ओडिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ओरिंड) लाठीकाटा में फरार प्रमोटर रविन झुंझुनवाला के नेतृत्व वाली कंपनी के अंदर रेलवे साइडिंग का अवैध निजी उपयोग बंद करने की मांग

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला - ओरिएंट रैफ्रेक्टरीज के पूर्व कर्मचारियों और मजदूरों के हक पर अतिक्रमण, प्रदूषण तथा भूमि संबंधी उल्लंघनों के साथ जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने आज गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ओडिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ओरिंड) के लाठीकाटा (सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा) परिसर के अंदर स्थित रेलवे साइडिंग के अवैध निजी उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। ओरिंड, जो 1944 में स्थापित ओडिशा की सबसे पुरानी रैफ्रेक्टरी कंपनी में से एक है, ओरिएंट रैफ्रेक्टरीज ग्रुप की सहायक कंपनी है, जिसके प्रमुख प्रमोटर रविन झुंझुनवाला (Ravin Jhunjunwala) 2011 के ओरिंड फ्रॉड केस में शामिल रहे। इस फ्रॉड केस में ओरिंड ग्रुप के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर काशी प्रसाद झुंझुनवाला को गिरफ्तार किया गया था, तथा रविन झुंझुनवाला की भूमिका भी जांच के दायरे में रही, जिसके बाद वे फरार घोषित हो चुके हैं। यह साइडिंग मूल रूप से ओरिएंट रैफ्रेक्टरीज के पूर्व कर्मचारियों एवं मजदूरों के हितों से जुड़ी थी, जो कंपनी के वित्तीय संकट, दिवालिया प्रक्रिया एवं प्रमोटर के फरार होने के बाद रेलवे द्वारा संरक्षित थी। हालांकि, वर्तमान में इसका निजी तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है, जो न केवल पूर्व कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि अतिक्रमण तथा अन्य कानूनी उल्लंघनों को भी जन्म दे रहा है। हम मांग करते हैं कि इस साइडिंग के अवैध उपयोग को तत्काल बंद किया जाए तथा संबंधित भूमि को केवल भूमि संबंधी मुद्दों (लैंड यूज) के अनुरूप पुनः आवंटित किया जाए, ताकि पूर्व कर्मचारियों को उनके दावों का निपटारा हो सके।



तथात्मक जानकारी एवं प्रदूषण संबंधी मुद्दे: ओरिंड लिमिटेड लाठीकाटा में रैफ्रेक्टरी उत्पादन के लिए जानी जाती है, तथा ओरिएंट रैफ्रेक्टरीज (अब RHI Magnesita India Ltd के रूप में पुनर्नामित) के पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी के संकट काल में वेतन, पेंशन एवं पुनर्वास के दावे दायर किए हैं, जिसमें रेलवे साइडिंग जैसी संपत्तियों को पूर्व कर्मचारियों के हित में उपयोग करने की मांग शामिल है। कंपनी के 2011 फ्रॉड केस के बाद सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हुए, तथा उनके दावों का निपटारा अभी भी लंबित है, जिसमें श्रम अदालतों में केस चल रहे हैं। हालांकि, निजी उपयोग से कोयला, जिप्सम, आइरन फाईस एवं अन्य खनिजों का अनियंत्रित व बेतरतीब लोडिंग-आनलोडिंग हो रहा है, जो पर्यावरणीय खतरे पैदा कर रहा है। ओडिशा में रेलवे साइडिंग से जुड़े प्रदूषण के मामले व्यापक हैं; उदाहरणस्वरूप, सुंदरगढ़ जिला में कोयला रेलवे साइडिंग के खिल्लाफ स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां बल्क कोयला परिवहन से वायु प्रदूषण, धूल कणों का फैलाव (PM10 और PM2.5 स्तर में वृद्धि), जल स्रोतों का दूषित होना तथा श्वसन संबंधी बीमारियाँ (जैसे अस्थमा और ब्लॉकाइटिस) बढ़ रही हैं। इसी प्रकार, रेगाली प्रोजेक्ट में ईस्ट कोस्ट रेलवे को अवैध क्लियरेंस के लिए ओडिशा

स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (OSPCB) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2025 में फटकार लगाई, जहां साइडिंग से उत्पन्न प्रदूषण ने कृषि भूमि और जल स्रोतों को प्रभावित किया। जाजपुर जिले के जाखपुरा रेलवे स्टेशन पर साइडिंग/स्टैक यार्ड से वायु एवं जल प्रदूषण के मामले 2016 से दर्ज हैं, तथा NGT ने 2023 में अवैध साइडिंग पर कार्रवाई का आदेश दिया। नेगुंडी रेलवे साइडिंग में अवैध स्टैक यार्ड के संचालन से पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा है, जो लाठीकाटा मामले से समान है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन के दस्तावेजों के अनुसार, ऐसे साइडिंग से मिट्टी प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास होता है, तथा ट्रक ट्रांसपोर्ट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो सड़क दुर्घटनाओं, ईंधन उत्सर्जन और सड़क प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ये मुद्दे न केवल स्थानीय स्वास्थ्य जोखिम (जैसे फेफड़ों की बीमारियाँ) बढ़ाते हैं, बल्कि ओडिशा के औद्योगिक क्षेत्रों में समग्र पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, जहां OSPCB को मिनरल स्टैक यार्ड और साइडिंग के लिए विशेष गाइडलाइन्स जारी करने पड़े हैं।

कानूनी धाराओं का उल्लंघन एवं भूमि संबंधी मुद्दे-यह अवैध उपयोग भारतीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है, विशेष रूप से भूमि उपयोग, रेलवे संचालन एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 94 के तहत, रेलवे प्रशासन के स्वामित्व न होने वाले साइडिंग पर माल लोडिंग या डिलीवरी केवल अधिकृत व निर्देशित तरीके से ही की जा सकती है, तथा अनधिकृत निजी उपयोग पर दंडनीय कार्रवाई (जुर्माना या बंदी) का प्रावधान है। धारा 93 रेलवे प्रशासन की माल वाहक के रूप में सामान्य जिम्मेदारी निर्धारित करती है, जो अवैध उपयोग से प्रभावित होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 (केंद्रीय सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकार) एवं धारा 5 (अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध) के अंतर्गत प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को साइडिंग से उत्पन्न प्रदूषण पर तत्काल कार्रवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत साइडिंग संचालन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है, तथा उल्लंघन पर OSPCB जुर्माना लगा सकता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act) की धारा 4 (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन) एवं धारा 24 (पिछली अधिग्रहणों की वैधता जांच) के तहत पूर्व कर्मचारियों की भूमि/सुविधा (जैसे साइडिंग) पर अतिक्रमण निषिद्ध है, तथा धारा 31 के तहत पुनर्वास पैकेज (रोजगार, आवास या मुआवजा) प्रदान करना अनिवार्य है। धारा 55 पूर्व अधिग्रहणों के लिए विशेष प्रावधान देती है, जो ओरिएंट के पूर्व कर्मचारियों के दावों से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F पूर्व कर्मचारियों के छंटी एवं हितों की रक्षा करती है। हम केवल भूमि संबंधी मुद्दों (जैसे अतिक्रमण, पुनर्वास, लैंड यूज एवं पूर्व कर्मचारी दावे) को केंद्र में रखते हुए इन धाराओं का हवाला देते हैं, तथा मांग करते हैं कि ओडिशा सरकार, केंद्रीय रेल मंत्रालय, OSPCB एवं NGT तत्काल जांच कर साइडिंग को बंद करें, फरार प्रमोटर रविन झुंझुनवाला की संपत्तियों को कुर्की करें तथा पूर्व कर्मचारियों को न्याय दें। NGT के हालिया आदेशों के अनुरूप, अवैध साइडिंग पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी ट्रक चालकों एवं परिवहन मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हम ओडिशा सरकार, केंद्रीय रेल मंत्रालय, OSPCB एवं NGT से अपील करते हैं कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा संगठन व्यापक आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा।



रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्टॉल प्रस्ताव:
 सिंगल साइड ओपन स्टोल: 2000
 कॉर्नर साइड स्टोल: 3500
 तीन साइड ओपन स्टोल: 4500
 सिर्फ एक टेबल: 1000
 सिर्फ दो टेबल: 1250

कार्यक्रम विवरण:
 रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
 स्थान: डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें: 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
 * दुकान का आकार: 10 फीट x 10 फीट
 * शामिल सुविधाएँ:
 * 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
 * लाइट व चाजिंग प्लाइट

भुगतान की शर्तें:
 * अग्रिम भुगतान आवश्यक
 * बुकिंग के समय 50% भुगतान
 * कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क: इंदु राजपूत
 मोबाइल: 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
 गरबा महोत्सव में विशेष अपील हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
 रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है-
 इस नवरात्रि एक सेवा झड़व चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें:

- पुराने कपड़े
- पुराने केबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान:
 रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
 रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ अथॉरिटी के पास
 सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
 नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोर एव जवारों का विसर्जन

- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक: 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान: रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण:
 रामलीला मैदान के सामने,
 आरटीओ अथॉरिटी के पास,
 सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र:
 इंदु राजपूत - 9210210071
 सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पान विसर्जन में सहभागी बनें।

मनुष्य का मस्तिष्क यदि विवेक, सद्बुद्धि और सत्य के प्रकाश से आलोकित हो, तो वह समाज का निर्माता बनता है।

जब यही मस्तिष्क, स्वार्थ छल और अहंकार से दूषित हो जाता है, तब वह समाज के लिए एक विध्वंसक शक्ति बन जाता है। ऐसे दुष्ट मस्तिष्क वाले लोग जब कमजोर और विवेकहीन मनःस्थिति वाले लोगों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, तब एक ऐसा विषवृत्त जन्म लेता है, जो केवल सामाजिक नहीं, अपितु आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सड़ांध फैलाने लगता है। इस दुष्चक्र में नैतिकता, सच्चाई और स्वतंत्र चिंतन दम तोड़ने लगते हैं। ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है जागरूकता की, जिससे वह दृष्टि पैदा हो, जो असत्य को सत्य से, अधर्म को धर्म से, और भ्रम को यथार्थ से अलग कर सके। यह जागरूकता तभी संभव है जब आत्मबल दृढ़ हो, विवेक जाग्रत हो और शुद्ध गुरु-संगति प्राप्त हो। ऐसी संगति जो चेतना को स्वतंत्र, निर्मल और सत्यमय बनाए।

मेट्रो की मनमानी से 2 महीने से भटक रहे हैं व्यापारी - परमजीत सिंह पम्मा

मुख्य संवाददाता
 नई दिल्ली: सड़क बाजार में मेट्रो का कार्य चल रहा है इसी कड़ी में कुतुब रोड तेलीवाड़ा पर बिल्डिंग कमजोरी का कहकर कुछ दुकानों 25 जुलाई से 2503 से 2510 तक 40-45 दुकानों व गोदाम सील कर दी थी जिसको मेट्रो अधिकारियों ने यह कहा लगभग 1 साल तक यह दुकानों को सील रखा जाएगा। और व्यापारियों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। इस पर वरिष्ठ व्यापारी नेता परमजीत सिंह पम्मा ने कहा बड़े दुख की बात है। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। मेट्रो ने अभी तक कोई भी व्यापारियों को तय नहीं किया कि वह व्यापारियों को 1 साल के लिए कितना मुआवजा देगी जिस व्यापारी आगे अपनी दुकान या गोदाम किराए पर ले सकें। क्योंकि आगे आने वाला समय त्योहारों का है। अगर व्यापारियों का माल नहीं बिक पाया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जैसे-जैसे त्योहार पास में आते जा रहे हैं, दुकानों व गोदाम के किराए भी बढ़ते जा रहे हैं।

परमजीत सिंह पम्मा ने कहा जब भी मेट्रो अधिकारियों से बात करो वह इसको लेकर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर व्यापारियों को लटका रही है। जिससे व्यापारी आए दिन परेशानी के कारण इधर-उधर भटक रहे हैं ना वह दुकानों किराए पर ले पा रहे हैं ना ही वह कोई कार्य कर पा रहे हैं।

परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, जल्द ही मेट्रो ने कोई हल नहीं निकला तो व्यापारियों के साथ मिलकर वह मेट्रो के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।



पं. गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष सहित गणमान्य जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की

मुख्य संवाददाता
 नई दिल्ली: भारत रत्न पं. गोविंद बल्लभ पंत के 138वीं जन्म जयंती के अवसर पर संसद परिसर के बाहर स्थित पार्क में आयोजित एक समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिरला, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजय भट्ट सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संयोजन पंडित गोविंद बल्लभ पंत समारोह समिति के संयोजक एवं पूर्व विधायक डा. एस.सी.एल. गुप्ता ने किया और उपस्थित गणमान्य जनों का अभिनंदन किया। ओम बिरला ने कहा की पं. गोविंद बल्लभ पंत सादगी के साथ लोक सेवा को समर्पित व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर रहते हुए इमानदारी की राह को कभी नहीं छोड़ा।



किस बात है गिला ...!

अपनों से ही किया करते हैं वो शिकवा, हमें ना पता उनको किस बात है गिला।
 ना जाने कब से चल रहा है सिलसिला, जब कोई बात कहे वो जाते तिलमिला।
 वजह कोई हो तो हमें आज ही बताओ, बात करना गुनाह है? इतना न सताओ।
 गर तुम्हें कोई गम है जिक्र तो फरमाओ, यू अपना समझों तो विस्तार से बताओ।
 गुरूर का पर्दा फिर एक बार तो गिराओ, कितना सम्मान मिलता है लुप्त उठाओ।
 क्या? रखा है इस अहम में जरा बताओ, जिंदगी कितनी हँसी है मजे भी उड़ाओ।

संजय एम तराणेकर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
चिकित्सा निदेशक का कार्यालय
लोक नायक अस्पताल,
नई दिल्ली-110002
(सामान्य शाखा)

लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली में प्रमाणित दो वर्षीय रेडियोलॉजिकल सहायक पाठ्यक्रम (सत्र 2025-2027) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उसकी स्कूली शिक्षा दिल्ली से ही हुई हो। सभी चयनित उम्मीदवारों को ₹500/- प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा। आवेदन पत्र वेबसाइट <http://lnip.delhi.gov.in> पर उपलब्ध है, जिसका लिंक <https://forms.gle/m7Smc9s5QBvetP6C9> है। पूर्ण रूप से भरें हुए फॉर्म 19.09.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा करने होंगे।
 चयनित उम्मीदवारों की सूची 24.09.2025 को उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

ह./-
चिकित्सा निदेशक
 DIP/Shabdarth/Classified/0245/25-26

बाद तत्काल / Flood Immediate
 Government of India
 Ministry of Jal Shakti
 Dept. Of Water Resources, RD & GR
 Central Water Commission
 Upper Yamuna Division New Delhi

पत्रांक: 1/5/5/ ऊ.य.म. / 2025/ 2185-2197
 दिनांक / Dated: 10/September/2025
 पूर्वानुमान संख्या/ Forecast No.: 62

दिनांक / Date: 10/September/2025
 जारी करने का समय / Time of issue: 07:35 Hrs

बाद पूर्वानुमान सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। / Flood Forecast is forwarded for information and necessary action, please.

- जिलाधिकारी, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
 District Magistrate, Mathura, Uttar Pradesh.
- कार्यकारी अभियंता, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, मथुरा।
 Executive Engineer, U.P Irrigation Department, Mathura.
- राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
 Relief Commissioner, U.P Secretariat, Lucknow, Uttar Pradesh.
- कार्यकारी अभियंता, ऊपरी ब्लॉक आगरा नहर, मथुरा।
 Executive Engineer, Upper Block Agra Canal, Mathura.
- एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व), मथुरा।
 Additional District Magistrate (Finance and Revenue), Mathura.
- कार्यकारी अभियंता, निचला ब्लॉक आगरा नहर, मथुरा।
 Executive Engineer, Lower Block Agra Canal, Agra.
- बाद नियंत्रण कक्ष, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, मथुरा।
 Flood Control Room, U.P Irrigation Department, Mathura.

बाद पूर्वानुमान स्टेशन / Flood Forecasting Station : मथुरा प्रयाग घाट साइट / Mathura Prayag Ghat Site

खतरे का स्तर / Danger Level : 166.00 मीटर/m
 चेतावनी स्तर / Warning Level : 165.20 मीटर/m
 उच्चतम बाढ़ स्तर / Highest Flood Level : 169.73 मीटर/m (08/09/1978)

मथुरा प्रयाग घाट साइट स्थल पर आज दिनांक 10/September/2025 को 07.00 बजे यमुना नदी का जलस्तर 167.23 मीटर दर्ज किया गया। वर्तमान संकेतों के अनुसार, जलस्तर में वृद्धि / गिरावट / स्थिरता रहेगी तथा 10/September/2025 20:00 बजे तक जलस्तर 167.05 मीटर होने की संभावना है, उसके बाद जलस्तर में वृद्धि / गिरावट / स्थिरता रहने की संभावना है।

बी - 5, कालिंदी भवन
 कृषि संसाधनिक क्षेत्र
 कवठिया सारल
 नई दिल्ली - 110016
 दूरभाष : 011-26868120
 ईमेल : udybco-cwc@nic.in

B-5, Kalindi Bhawan
 Qutub Institutional Area
 Khatwaria Sarali
 New Delhi-110016
 Telephone: 011-26868120
 E-mail: udybco-cwc@nic.in

To Download Advertisement, Scan →

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
(D.S.S.S.B)
FC-18, INSTITUTIONAL AREA, KARKARDOOMA, DELHI-110092
<https://dsssonline.nic.in>

No. F.1(438)/P&P/DSSSB/2025/Adv./3305
 Dated: 10/09/2025

VACANCY NOTICE / ADVERTISEMENT NO. 05/2025
COMBINED EXAMINATION, 2025 FOR THE POST OF ASSISTANT TEACHER (PRIMARY)

The opening date and closing date for receipt of online applications are as below:-

Opening Date of Application: 17/09/2025 (17th September, 2025) (From 12.00 Noon)
Closing Date of Application: 16/10/2025 (16th October, 2025) (Till 11.59 PM)

Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) invites online applications from eligible candidates for recruitment to the post of **Assistant Teacher (Primary)** against vacancies in respect of under mentioned Departments of Government of NCT of Delhi / Autonomous / Local bodies as per detail given below:-

S.No.	Post Code	Name of post	Name of Department	Pay Level	Vacancies*						
					UR	OBC	SC	ST	EWS	Total	
1	802/25	Assistant Teacher (Primary)	Directorate of Education	6	434	278	153	62	128	1055	55
2		Assistant Teacher (Primary)	New Delhi Municipal Council	6	68	28	13	7	9	125	6
GRAND TOTAL					502	306	166	69	137	1180	61

*The above vacancies are tentative and based on inputs of the indenting Departments/ Bodies.
 Candidates must apply online through the website <https://dsssonline.nic.in>. The closing date for submission of online application is 16/10/2025 (till 11:59 PM) thereafter the link will be disabled.


DSSSB will conduct examinations for making recruitment against the vacancies notified above. The date of examinations will be intimated in due course only through the website of the Board. The applicants are advised to visit DSSSB's website i.e <https://dsssb.delhi.gov.in/dsssb-vacancies> to check the detailed advertisement and to confirm eligibility as per the Recruitment Rules of the indenting departments for the above vacancies.

IMPORTANT NOTE:- Only online applications will be accepted. Applications received by post/hand/by mail etc. will not be accepted and will be summarily rejected. No correspondence will be entertained in this regard.

-sd-
Deputy Secretary (P&P)
DSSSB

1 | Page

दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनन, खनिज और सामग्री हब में ईंधन नवाचार



विजय गर्ग

पृथ्वी के दुर्लभ तत्व, जिन्हें अक्सर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रविटामिन कहा जाता है, आज के डिजिटल, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित-ऊर्जा उद्योगों को रेखांकित करते हैं।

1794 में फिनिश केमिस्ट जोहान गाडोलिन द्वारा खोजा गया, उनका रदुलभर पदनाम कमी के बजाय असमान भौगोलिक वितरण और निष्कर्षण चुनौतियों को दर्शाता है। IUPAC आवधिक तालिका के एफ-ब्लॉक के भीतर REE को वर्गीकृत करता है, जिसमें 15 लैंथानाइड्स (परमाणु संख्या 57-71) शामिल हैं, साथ ही स्कैंडियम और यूट्रियम भी है।

भारत वैश्विक खनन परिदृश्य में, विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) में, उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थिति में रखते हुए लगातार एक विकट स्थिति बना रहा है।

राजस्थान के सिरोंही और भीलवाड़ा जिलों में हाल ही में अन्वेषण, निर्यादियम को लक्षित करते हुए - एक महत्वपूर्ण आरईई - इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, एयरोस्पेस और स्वच्छ ऊर्जा वाले अनुप्रयोगों के लिए इन खनिजों का उपयोग करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह प्रगति दूरदर्शी अनुसंधान और विकास, स्टार्ट-अप, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे उल्लेख्य केंद्र, विषयगत खनन पार्क और नवाचार योजनाओं के संयोजन से एक समग्र दृष्टिकोण से उपजी है। साथ में, ये पहल सरकारी एजेंसियों, उद्योग, शिक्षा और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे भारत को वैश्विक 3M हब - खनन, खनिज और सामग्री के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त होता है।

पृथ्वी के दुर्लभ तत्व, जिन्हें अक्सर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रविटामिन कहा जाता है, आज के डिजिटल, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित-ऊर्जा उद्योगों को रेखांकित करते हैं।

1794 में फिनिश केमिस्ट जोहान गाडोलिन द्वारा खोजा गया, उनका रदुलभर पदनाम कमी के बजाय असमान भौगोलिक वितरण और निष्कर्षण चुनौतियों को दर्शाता है। IUPAC आवधिक तालिका के एफ-ब्लॉक के भीतर REE को वर्गीकृत करता है, जिसमें 15 लैंथानाइड्स (परमाणु संख्या 57-71) शामिल हैं, साथ ही स्कैंडियम और यूट्रियम भी है।

उन्हें आगे लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और भौतिक गुणों द्वारा प्रभेदित हैं। भारत के वैज्ञानिक संस्थान सक्रिय रूप से इन संसाधनों का मानचित्रण और मूल्यांकन कर रहे हैं।


उदाहरण के लिए, हैदराबाद में सीएसआईआर-नेशनल जिऑफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में

महत्वपूर्ण एलआरई जमा की पहचान की है। LREEs - लैंथेनम, सेरियम, प्रसियोडिमियम, नियोडिमियम, यूट्रियम, हैफनियम, टैटलम, निर्योबियम, जिर्कोनियम और स्कैंडियम सहित - कम ऊर्जा की खपत, थर्मल स्थिरता, स्थायित्व, चमकदार तीव्रता और रंग निर्धारण जैसे गुणों के कारण आधुनिक उद्योगों में अपरिहार्य हैं। ये विशेषताएं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन, औद्योगिक मशीनरी, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक बनाती हैं।

उनके रणनीतिक मूल्य को पहचानते हुए, भारत सरकार ने कई आगे की पहल लागू की है। राष्ट्रीय खनिज मिशन नवाचार को प्रोत्साहित करता है, निष्कर्षण और प्रसंस्करण की सुविधा देता है, खनिज पार्कों को बढ़ावा देता है, और रीसाइक्लिंग का समर्थन करता है, विशेष रूप से ई-कचरा। यह पेटेंट विकास, क्षमता निर्माण और युवा रोजगार को भी चलाता है। इसे पूरा करते हुए, खनिज आउटरीच फोरम सरकारी एजेंसियों, उद्योग हितधारकों, स्टार्ट-अप और शिक्षा के बीच अंतराल को बढ़ावा देता है, एक रमेक इन माइनिंग इंडियाह पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।

जिला खनिज नींव खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी और जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करती है। अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में भारत की महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में हैं। स्वच्छ ऊर्जा, मोटर वाहन, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों सहित महत्वपूर्ण खनिज उभरते क्षेत्रों को रेखांकित करते हैं।

आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी-आइएएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, सीएसआईआर-आईएमएमटी भुवनेश्वर, सीएसआईआर-एनएमएल जमशेदपुर और एनएफटीडीसी हैदराबाद जैसे संस्थानों में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत स्थापित उल्लेख्य केंद्र (सीओई) सरकार, उद्योग, एमएसएमई और निवेशकों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एब इंड स्पोक मॉडल में काम करते हैं। ये पहल भारत के आत्मानवीर भारत और विक्सिट @ 2047 के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।



नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (तिरुवनंतपुरम), नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (जमशेदपुर), नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (नई दिल्ली), इंस्टीट्यूट ऑफ मिनेरल्स एंड मैटेरियल टेक्नोलॉजी (भुवनेश्वर) और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान खनन और ईंधन अनुसंधान (धनबाद), महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन कार्बोसिल फॉर मैडिकल रिसर्च के बीच सहयोग ने बायोडिग्रेडेबल मैग्नेशियम-आधारित प्रत्यारोपण के लिए दुर्लभ पृथ्वी फॉस्फेट कोर्टिस विकसित की है, जो औद्योगिक अनुप्रयोगों से परे आरईई की क्षमता का प्रदर्शन करती है।

अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए, खान मंत्रालय ने खनन उन्नति के लिए सत्यभामा पोर्टल - विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आत्मानवीर भारत का शुभारंभ किया। नागपुर में जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर (JNARDDC) जैसे संस्थानों के साथ सहयोगात्मक प्रयास, टिकाऊ बायोलीचिंग

तकनीकों को बढ़ावा देते हुए एल्यूमिना डिस्प्ले से यूरोपियम की वसूली और अयस्कों से निर्योबियम और टैटलम सहित आरईई निष्कर्षण तकनीकों को आगे बढ़ा रहे हैं।

उद्यमिता भारत के खनन पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। भारतीय दुर्लभ पृथ्वी लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत, BARC द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करने, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स का समर्थन करने के लिए भोपाल में दुर्लभ पृथ्वी धातु और टाइटेनियम थैम पार्क विकसित कर रहा है। बायोलीचिंग, बायोसोरप्शन और पाइरोमेटलर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग आपूर्ति श्रृंखला और पर्यावरणीय चुनौतियों दोनों को संबोधित करता है।

इस क्षेत्र की वृद्धि रासायनिक इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान और धातुकर्म इंजीनियरिंग में कुशल पेशेवरों की मांग को बढ़ावा दे रही है। खनन अनुसंधान में एआई, स्वचालन, सेंसर, छवि प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां तेजी से लागू होती हैं।

विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान छात्रों को सिमुलेशन और डिजाइन के लिए MATLAB,

Simulink, Rockscience, और AnyLogic जैसे उपकरणों से लैस कर रहे हैं। कोशल पहल व्यापक हैं: IREL, तमिलनाडु प्रशिक्षुता प्रदान करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को प्रशिक्षित करता है, और राष्ट्रीय कोशल विकास निगम ने एक खनन क्षेत्र कोशल परिपक्व की स्थापना की है। उद्योग 4.0 और 5.0 प्रौद्योगिकियां - जिसमें एआई, डिजिटल जुड़वाँ, एआर / वीआर, और मेटावर्स शामिल हैं - प्रशिक्षण, परिचालन दक्षता और नवाचार को बढ़ाते हैं। एनपीटीईएल जैसे प्लेटफॉर्म खनिज संसाधनों, खनन मशीनरी, स्वचालन, डेटा एनालिटिक्स और ई-कचरा प्रबंधन में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जबकि अटल टिकरिंग लैब्स IoT, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स-संचालित नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।

आगे देखते हुए, भारत REE अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण पर केंद्रित एक आत्मनिर्भर खनन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।

मोहाली में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के भारत निर्मित चिप्स का शुभारंभ उच्च तकनीक आत्मनिर्भरता के लिए तत्परता का प्रदर्शन करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग कोशल पहल को मजबूत करेगा, वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा और भविष्य के उद्योग की मांगों के लिए एक प्रतिभा पूल तैयार करेगा।

खनन, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और तकनीकी नवाचार पर भारत का रणनीतिक ध्यान एक साहसिक दृष्टि को दर्शाता है: विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार खनन केंद्र के रूप में उभरने के लिए।

अन्वेषण, अनुसंधान, उद्यमिता, स्थिरता और कोशल विकास के माध्यम से, भारत 2047 तक खनिजों और सामग्रियों में एक वैश्विक नेता बनने के इच्छुक अपनी तकनीकी और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को चलाने के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

रक्त कोलेस्ट्रॉल बनाम मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल: स्मृति और स्वास्थ्य पर क्या अंतर और इसका प्रभाव है

विजय गर्ग

रक्त कोलेस्ट्रॉल और मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल दो अलग-अलग प्रणालियाँ हैं, प्रत्येक समग्र स्वास्थ्य में अपनी भूमिका के साथ, और स्मृति और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव अलग-अलग हैं। जबकि वे दोनों एक ही अणु के रूप में, रक्त-मस्तिष्क बाधा को उभराने के कारण उन्हें अलग से विनियमित किया जाता है। रक्त कोलेस्ट्रॉल

यह क्या है: कोलेस्ट्रॉल आपके रक्तप्रवाह में पाया जाता है, लिपोप्रोटीन द्वारा ले जाया जाता है। दो मुख्य प्रकार कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) कोलेस्ट्रॉल (रखराब कोलेस्ट्रॉल) और उच्चघनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एचडीएल) कोलेस्ट्रॉल (रखराब कोलेस्ट्रॉल) हैं।

स्रोत: यह यकृत द्वारा निर्मित होता है और आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से आपकी धमनियों में पट्टिका का निर्माण हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक स्थिति। यह रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण या अवरुद्ध कर सकता है, मस्तिष्क और हृदय सहित अंगों में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकता है। यह दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसे हृदय रोगों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है।

मेमोरी और मस्तिष्क स्वास्थ्य पर प्रभाव: संज्ञानात्मक गिरावट: उच्च रक्त

कोलेस्ट्रॉल, विशेष रूप से मिडलाइड में उच्च एलडीएल, बाद में जीवन में संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है।

संवहनी मनोभ्रंश: भरा धमनियों के कारण मस्तिष्क में कम रक्त प्रवाह संवहनी मनोभ्रंश, मस्तिष्क रक्त वाहिकाओं को नुकसान के कारण मनोभ्रंश का एक प्रकार के लिए नेतृत्व कर सकते हैं।

एमिलॉयड प्लेक्स: रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क में एमिलॉयड प्रोटीन के निर्माण में भी योगदान कर सकता है, जो अल्जाइमर रोग की पहचान है। मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल

यह क्या है: कोलेस्ट्रॉल जो मस्तिष्क के भीतर बनाया और निहित है। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर से सीधे प्रभावित नहीं होता है क्योंकि मस्तिष्क रक्त वाहिकाओं द्वारा संरक्षित होता है, एक प्रकार का फिल्टर जो कई पदार्थों को रक्त प्रवाह से मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकता है।

स्रोत: मस्तिष्क अपने स्वयं के कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: मस्तिष्क में शरीर के कुल कोलेस्ट्रॉल का लगभग 20-25% होता है, और यह उचित मस्तिष्क समारोह के लिए आवश्यक है।

मेमोरी और मस्तिष्क स्वास्थ्य पर प्रभाव: मस्तिष्क संरचना और कार्य: कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क कोशिका झिल्ली और माइलिन म्यान

का एक महत्वपूर्ण घटक है जो तंत्रिका तंतुओं को इन्सुलेट करता है। यह सिनेप्स बनाने और गिरावट और मनोभ्रंश के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है।

न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग: मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल के स्तर में असंतुलन को अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों से जुड़ा गया है। बहुत कम कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच कनेक्शन को कमजोर कर सकता है, संभवतः स्मृति समस्याओं और कोशिका क्षति के लिए अग्रणी।

APOE जीन: APOE4 जीन, देर से शुरू अल्जाइमर रोग के लिए सबसे मजबूत आनुवंशिक जोखिम कारक, कैसे मस्तिष्क प्रक्रियाओं और कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करता है में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उम्र का कारक मिडलाइड में, उच्च कोलेस्ट्रॉल संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश के लिए एक मजबूत जोखिम कारक है। लेकिन बाद के वर्षों में, कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल वास्तव में मस्तिष्क लचीलापन का समर्थन कर सकता है। एक स्पष्टीकरण यह है कि उम्र बढ़ने वाला मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल का अलग-अलग उपयोग कर सकता है, शायद इसके तंत्रिका कनेक्शन को बनाए रखने के लिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है। यही कारण है कि स्मृति और स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल

की भूमिका को समय के लेंस के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है; 45 वर्षीय व्यक्ति को जो नुकसान पहुंचाता है वह 75 वर्षीय व्यक्ति की मदद कर सकता है।

स्टैटिन और मेमोरी डिबेट वर्षों तक, लोगों को डर था कि स्टैटिन जैसी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएँ स्मृति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शुरुआती रिपोर्टों ने चिंता पैदा कर दी, लेकिन हाल के बड़े पैमाने पर अध्ययनों ने उन चिंताओं को शांत कर दिया है।

साक्ष्य अब दिखाता है कि स्टैटिन डिमेंशिया या दीर्घकालिक मस्तिष्क परिवर्तन का कारण नहीं बनाता है। वास्तव में, उच्च कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके, वे अप्रत्यक्ष रूप से स्ट्रोक और संवहनी मनोभ्रंश के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि संदर्भ मानने रखता है: रक्त कोलेस्ट्रॉल के लिए उपचार अक्सर मस्तिष्क की रक्षा करता है, भले ही कनेक्शन तुरंत स्पष्ट न हो।

संक्षेप में, जबकि दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से संवहनी प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर अप्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, जबकि मस्तिष्क कोलेस्ट्रॉल सीधे मस्तिष्क कोशिकाओं और उनके संचार के मौलिक कार्यों में शामिल होता है। दोनों प्रणालियों में स्वस्थ स्तर बनाए रखना दीर्घकालिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रकृति के प्रहरी: जिनके बलिदान से साँसें जिंदा हैं [वन शहीदों का ऋण: जो हर सांस के साथ चुकाना है]

वृक्ष केवल लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी साँसों का प्राधार है। उनकी जड़ें में धरती का धैर्य, पत्तियों में झरुनों का गीत और छाँव में

पीढ़ियों का आलिंगन समाया है। जब इन पर भारी वृत्ति, तो कुछ बायोको के अग्रणी जान श्रेणी पर रक्षक प्रकृति की रक्षा की। उनके लिए वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं, जीवन का पर्यय है। यही वह आशा थी, जिसने 1730 के खेडूली कांड को अमर बनाया और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का प्रतीक बनाया। यह दिन जन आंदोलनियों को अग्रजोति है, जिन्होंने भारत के जंगलों, वन्यजीवों और पर्यावरण के लिए अपने प्राण बलिदान दिए।

खेडूली कांड सिर्फ इतिहास की घटना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की अमर प्रेरणा है। 1730 में राक्षस के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश्व का पहला दै पर्यावरण आंदोलन के जोधपुर में महाराजा अमर सिंह के आदेश पर खेडूली पेड़ों को काटने का हुक्म हुआ। इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृत दीवी बिक्रमों ने अपने समुदाय के साथ प्रतिरोध किया। एक-एक कर 363 बिक्रमों आनंदवासियों ने पेड़ों को अपनी छाल बनाया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान विश

जिला अमृतसर में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि की अगस्त माह की अदायगी भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 18 हजार बुजुर्ग पेंशनधारक हैं।

अमृतसर (साहिल बेरी)

डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने विभाग को इन बुजुर्गों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनका हाल-चाल पूछने और उनकी अन्य जरूरतों की पूर्ति करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार द्वारा जिले में चल रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 2,97,208 लाभार्थियों को पिछले पाँच महीनों में लगभग 2 अरब 19 करोड़ 86 लाख 54 हजार रुपये की अदायगी की गई है।

डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त माह तक पेंशनधारकों को पेंशन की अदायगी की जा चुकी है और केवल अगस्त महीने में ही कुल 2,97,208 लाभार्थियों को 44 करोड़ 58 लाख 22 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच महीनों में जिले में—

बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों को 1 अरब 49 करोड़ 64 लाख 52 हजार 500 रुपये, विधवा एवं निराश्रित महिला लाभार्थियों को 40 करोड़ 96 लाख 35 हजार रुपये, आश्रित बच्चों की पेंशन के लाभार्थियों को 13 करोड़ 82 लाख 50 हजार 500 रुपये, और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 15 करोड़ 43 लाख 16 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अजनाला क्षेत्र के करीब 18 हजार पेंशन लाभार्थी हैं और हमारी टीमें लगातार उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रही हैं और उनकी माँग अनुसार राहत सामग्री भी पहुँचाई जा रही है। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है, जिससे जहाँ उनकी परेशानियाँ कम हुई हैं वहीं उनके समय की बचत भी हो रही है।

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती



मीनादेवी ने जानकारी देते हुए बताया कि— पुरुष जिनकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक हो तथा महिलाएँ जिनकी आयु 58 वर्ष या इससे अधिक हो,

जिनकी सालाना आय सभी स्रोतों से 60 हजार रुपये से अधिक न हो,

और ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 एकड़ से कम जमीन या शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर से कम मकान की मालिकाना हक वाले योग्य लाभार्थियों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाता है।

इसी प्रकार 58 वर्ष से कम उम्र की विधवा एवं निराश्रित महिलाएँ, जिनकी सालाना आय 60 हजार रुपये से अधिक न हो, तथा 21 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे, जो माता-पिता की मृत्यु या उनकी दिव्यांगता के कारण देखभाल से वंचित हो गए हों और जिनकी सालाना आय 60 हजार रुपये से कम हो, उन्हें भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके साथ ही 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति भी इस पेंशन के पात्र हैं। प्रत्येक योग्य लाभार्थी को सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।



"शब्द" की "कीमत" तब पता चलती है जब वो जुबान से निकल जाता है और "रिश्ते" की कीमत तब पता चलती है जब वो जिंदगी से निकल जाता है। "हजारों उलझनें "राहों" में और "कोशिशें बेहिसाब" इसी का नाम है "जिंदगी" चलते रहिए साहब "खुशी" "से" सन्न मिलता है और सन्न से खुशी मिलती है परन्तु फर्क बहुत बड़ा है "खुशी" थोड़े समय के लिए सन्न देती है और "सन्न" हमेशा के लिए खुशी देता है। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सहना आ जाए मजबूत होने का असली अर्थ है जो गलत लगे वो कहना आ जाए। "सुनना" सीख लो तो "सहना" सीख जाओगे और "सहना" सीख लिया तो "रहना" सीख जाओगे। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हों नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हों!

बाबा सुखा सिंह सरहली वालों के जत्थे ने पहला पाड़ भरा

रावी दरिया में पड़े पाड़ भरने का काम लगातार जारी डिप्टी कमिश्नर द्वारा चल रहे कार्यों का जायजा



का स्तर कम होने पर विभाग की पहुँच दरिया तक हुई, तो यह सामने आया कि रावी दरिया 20 से अधिक स्थानों से बांध तोड़कर इलाके में प्रवेश कर गया था। उन्होंने बताया कि अब पानी का स्तर घट जाने के कारण हमने वहाँ

तक रास्ते बनाकर पाड़ भरने का काम शुरू किया है। इस कार्य में हमारा साथ कार सेवा वाले महापुरुष दे रहे हैं, जिनमें संत बाबा सुखा सिंह सरहली कला वाले, संत बाबा जगतार सिंह तरनतारन वाले, कार सेवा गुरु

के वाग, फौज के जवान और कई अन्य संस्थाएँ शामिल हैं। इसी दौरान जल संसाधन विभाग के एक्सपर्ट श्री गुरबीर सिंह ने बताया कि माछीवाल के पास धुसी का एक पाड़, जिसे भरने का काम कार सेवा संत बाबा सुखा सिंह सरहली कला वालों का जत्था कर रहा था, ने रावी पर पहला पाड़ भर दिया है। लेकिन अन्य स्थानों पर अभी काम जारी है, जिसे समय लग सकता है।

इस मौके पर बाबा सुखा सिंह ने बताया कि हमने यह पाड़ भरने का काम चार दिन पहले शुरू किया था, जिसमें संगत से मिले सहयोग के कारण यह पाड़ भर लिया गया है और अब संगत द्वारा अगले पाड़ को भरने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।

विधायक जसबीर सिंह संघू ने बारिश से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सार, लैंटर जल्द डलवाने का किया वादा

अमृतसर 10 सितंबर (साहिल बेरी)

पिछले दिनों आई बाढ़ और भारी बारिश से पंजाब के कई हिस्सों को नुकसान पहुँचा है। अमृतसर की ग्वाल मंडी और राम नगर कॉलोनी में भी दो परिवारों के घरों को छत्ते गिर गई, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के अमृतसर पश्चिमी से विधायक डॉ. जसबीर सिंह संघू खुद प्रभावित परिवारों के घरों तक पहुँचे और उन्हें राशन सामग्री देकर हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया।



विधायक संघू ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है और मुश्किल वक्त में हर नागरिक के साथ खड़ी है। अंत में उन्होंने प्रभावित परिवारों को विश्वास दिलाया कि छत्तों का काम जल्द शुरू होगा और उन्हें फिर से सुरक्षित छत

उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मौके पर डॉ. संघू ने इलाके के अन्य निवासियों को भी भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब

सरकार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की मुश्किलों को समझती है और हर संभव मदद पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों ने भी विधायक संघू का धन्यवाद किया और उनके प्रयासों की सराहना की।

चेयरमैन रिटू और प्रियंका शर्मा द्वारा बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरित की गई



रिटू ने कहा यह सेवा जारी रहेगी

अमृतसर, (साहिल बेरी) इंफ्रामेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन करमजीत सिंह रिटू और सोनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा द्वारा रमदास के बाढ़ प्रभावित गाँवों का एक बार फिर दौरा किया और इस अवसर पर अपने साथियों और सेवा निभा रहे संत महापुरुषों के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त घरों के परिवारों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को फोल्डिंग बेड, बिस्तर, राशन, चिकित्सा और अन्य राहत सामग्री वितरित किया गया। करमजीत सिंह रिटू ने कहा कि कुछ दिन पहले अपनी टीम के साथ इन बाढ़ प्रभावित 9 गाँवों

का दौरा किया था और लोगों की जरूरतों का एक सूची बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि वही जरूरी सामान लोगों तक पहुँचाया है। करमजीत सिंह रिटू ने कहा कि यह सेवा इसी तरह जारी रहेगी और भविष्य में भी हर जरूरतमंद को मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जिन 9 गाँवों का पहले निरीक्षण किया गया था, उन सभी गाँवों में राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में बह गई हैं, घरों की दीवारें ढह गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करना सबसे उचित कार्य है।

करमजीत सिंह रिटू ने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ के कारण खेतों में हुई तबाही को भी गंभीरता से ले रही है और किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। भगवंत मान सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राहत देने हेतु रजिस्ट्रार केत उसकी रेटर्न नीति लागू की है। यह नीति केवल बाढ़ प्रभावित खेतों पर ही लागू होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और पंजाब सरकार घर-घर जाकर जरूरी मदद पहुँचाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों को

जल्द ही सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विशेष गिरावारी के आदेश जारी किए हैं ताकि बाढ़ से हुए नुकसान की तुरंत भरपाई की जा सके। इस अवसर पर सोनियर डिप्टी मेयर अमृतसर प्रियंका शर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को लगातार राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। इस अवसर पर रिटेश शर्मा, संत बाबा छोड़ा जाएगा और पंजाब सरकार घर-घर जाकर जरूरी मदद पहुँचाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों को

मुख्यमंत्री हेमन्त ने सपत्नीक बड़े माई स्व ० दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि

के ० परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने आज झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक सह अपनू बड़े भाई स्व० दुर्गा सोरेन की जयंती पर नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुँचे तथा स्व० दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें शत-शत नमन किया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्व० दुर्गा सोरेन जयंती पर हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हम सभी लोग यहां एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक स्व० दुर्गा सोरेन अलग झारखंड राज्य आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे, उनकी भूमिका एवं योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।



विश्व सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में अरदास उपरांत डॉक्टर सहायता कैंपों की शुरुआत



अमृतसर, 10 सितंबर (साहिल बेरी)

विश्व सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अमरजीत सिंह सचदेवा की अगुवाई में, ग्लोबल चेरमैन श्री परमीत सिंह चड्ढा और उनकी दिल्ली टीम के सहयोग से, अमृतसर जिले के अजनाला क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में मेडिकल कैंप कल से विभिन्न गाँवों में लगाए जाएंगे। कैंपों की शुरुआत बाढ़ प्रभावित गाँव सुफिया, चाड़पुर और छन्ना से की जाएगी।

विश्व सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के उद्देश्य स्वरुप है कि बाढ़ से प्रभावित मरीजों को मुफ्त दवाइयों दी जाएंगी। इस मुहिम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आज तहसील कार्यालय अजनाला में डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी से मुलाकात कर प्रभावित गाँवों के बारे में दिशा-निर्देश लिए गए। श्रीमती साक्षी साहनी ने डॉक्टर दृष्टिकोण से सुझाई गई दवाइयों को

देखकर विश्व सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के इस सार्थक प्रयास की सराहना की और सिविल सर्जन अजनाला की सेवाएँ लेने की सिफारिश की। इस अवसर पर विश्व सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल चेरमैन श्री परमीत सिंह चड्ढा, पंजाब चैटर के चेरमैन श्री राजिंदर सिंह मरवाहा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मानवता की सेवा में अपनी विनम्रता और सच्चे दिल से कार्य करने वाली शक्तिशाली श्रीमती साक्षी साहनी, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर का हार्दिक सम्मान किया।

मेडिकल कैंपों की पूरी जानकारी डी.आई.जी. डॉ. बॉर्डर रेंज श्री नानक सिंह (आई.पी.एस.) को भी दी गई। श्री नानक सिंह ने विश्व सिख चैंबर द्वारा की जा रही सेवाओं की भावपूर्ण सराहना की और पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का धरोसा दिया।

इसके उपरांत सेवादाता की संगत ने आहलुवालिया एस्टेट्स कार्यालय में इस प्रयास की सफलता के लिए गुरुचरणों में

अरदास की। यह अरदास गुरुद्वारा शहीदां साहिब के सिंह साहिबान ज्ञानी सुरजीत सिंह द्वारा की गई।

इसके बाद श्री टी.एम.आई. अस्पताल मजीठा रोड पहुँची, जहाँ अस्पताल के इंचार्ज डॉ. अमरजीत सिंह सचदेवा ने हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। यहाँ पर श्री परमीत सिंह चड्ढा, श्री राजिंदर सिंह मरवाहा और डॉ. अमरजीत सिंह सचदेवा की अगुवाई में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई।

इस तैयारी में प्रिंसिपल कुलवंत सिंह अन्धी, जसविंदर सिंह कोहली, डॉ. जसविंदर सिंह हिल्लो, डॉ. संतोष सिंह, अवतार सिंह कनाडा, हरदेश देवसर, हरप्रीत सिंह भाटिया, मनदीप सिंह, तजिंदर सिंह बाँबी बादशाह, रंजीत सिंह, डॉ. जसविंदर कौर सोहल, बीबा विपनप्रीत कौर, अमरजीत सिंह नारंग सी.ए., रुपिंदर सिंह कटारिया और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

8 किलो ग्राम हेरोइन बरामदगी मामला: गुरुसेवक के बयान पर पिता-पुत्र समेत चार व्यक्ति 12 किलो ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार; कुल बरामदगी 20 किलो ग्राम तक पहुँची

— पाकिस्तान-आधारित स्मगलर हेरोइन और हथियारों की खेप भेजने के लिए ड्रोन का कर रहे थे उपयोग: सीपी गुरप्रीत भुल्लर

अमृतसर, 10 सितंबर (साहिल बेरी)

8.1 किलो ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले के अगले-पिछले संबंधों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, कमिश्नरेंट पुलिस अमृतसर ने चार और नशा तस्करो को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 12 किलो ग्राम हेरोइन, .30 बोर पिस्तौल सहित एक मैगजीन बरामद की है, जिससे इस मामले में जन्म की गई कुल हेरोइन की मात्रा 20.1 किलो ग्राम तक पहुँच गई है। यह जानकारी आज यहाँ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरुप्रेज सिंह (50) और उसका पुत्र गुरदित सिंह (22), दोनों निवासी ग्राम नारला, तरनतारन, मलकीत सिंह (50) निवासी ग्राम डाल, तरनतारन और गुरजीत सिंह (29) निवासी ग्राम कोटली साका, अजनाला, अमृतसर के रूप में हुई है।

यह सफलता पंजाब पुलिस द्वारा कुख्यात नशा तस्करो सोनी सिंह उर्फ सोनी को उसके चार साथियों— गुरुसेवक सिंह, विशालदीप सिंह उर्फ गोला, गुरप्रीत सिंह और अरशदीप सिंह— समेत गिरफ्तार करके हेरोइन तस्करी काटेल का पर्दाफाश करने के उपरांत हासिल हुई थी। पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से पहले भी 8.1 किलो ग्राम हेरोइन बरामद की थी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि ताजा गिरफ्तारियों से तरनतारन और



अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमा पार से चल रहे काटेल का एक और मजबूत गठजोड़ उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी दोषी एक-दूसरे से और पाकिस्तान स्थित तस्करो से संपर्क करने के लिए वॉट्सएप का उपयोग कर रहे थे।

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में आगे-पीछे संबंध स्थापित करने के लिए अन्य जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां व बरामदगियां होने की संभावना है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए नशा तस्करो गुरुसेवक सिंह ने खुलासा किया कि पिता-पुत्र गुरुप्रेज सिंह और गुरदित सिंह, मलकीत सिंह के साथ मिलकर इस क्षेत्र में ड्रग सिंडीकेट चला रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरुप्रेज सिंह तरनतारन सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी कारवाइयों को अंजाम दे रहा था और पाकिस्तान स्थित तस्करो से सीधे संपर्क बनाए रखता था।

सीपी ने कहा कि दोषी गुरुप्रेज सिंह अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित अपने साथी मलकीत सिंह के खेतों में ड्रोन के जरिए खेपें प्राप्त कर रहा था। उन्होंने बताया कि दोषी गुरुप्रेज हेरोइन की खेपों को सुरक्षित रूप से छुपाने के लिए पशुओं के बाड़ों का उपयोग कर रहा था। उनके खुलासे के बाद, उनके घर में प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके मिट्टी के टोप में रखी 10 किलो हेरोइन बरामद की गई।



सीपी गुरप्रीत भुल्लर ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच के दौरान गुरजीत सिंह की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उसके घर की तलाशी के दौरान 2.006 किलो हेरोइन, एक .30 बोर पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पिस्तौल उसके बेड के गढ़े के अंदर छुपाया गया था।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 177 दिनांक 06-09-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी, 27-ए, 21-सी और 29 के तहत अमृतसर के थाना छहरदा में पहले ही दर्ज की जा चुकी है।